वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सा०/No. : 5-1(49)/2008-PD

Dated 13.12.2024

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय/ Sub : Endorsement of OMs issued by Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare – reg.

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memoranda issued by the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare for your kind information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं. / Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	1/1(33)/2024-पीएंडपीडबल्यू(ई) दिनांक 10.10.2024 1/1(33)/2024-P&PW(E) dated 10.10.2024	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 के अधीन, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की दो पत्नियों के बीच कुटुंब पेंशन का निपटारा-संबंधी। Settlement of Family Pension between two wives of a Government Servant or Pensioner under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 - reg.
2.	11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363 दिनांक 11.10.2024 11/15/2022-P&PW(H)-8363 dated 11.10.2024	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन मामले पर कार्रवाई होने के पश्चात, किसी ऐसी घटना के बारे में, जिसका पेंशन या किन्हीं सरकारी शोध्यों से संबंध है, लेखा अधिकारी को प्रज्ञापना देने के संबंध में। Intimation to Accounts Officer regarding any event having bearing on pension or any Government dues after processing of pension case under the CCS (Pension) Rules, 2021-reg.

13/12/24

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788
Website : http://www.csir.res.in

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं. / Office Memorandum No.	विषय/ Subject
3.	11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363 दिनांक 11.10.2024 11/15/2022-P&PW(H)-8363 dated 11.10.2024	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन केंद्र सरकार के कर्मचारी की अधिवर्षिता होने पर पेंशन मामले पर कार्रवाई। Processing of pension case on superannuation under CCS (Pension) Rules, 2021 in respect of Central Government Servant.
4.	11(15)/2022-पी&पीडबल्यू(एच) दिनांक 11.10.2024 11(15)/2022-P&PW(H) dated 11.10.2024	वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना । Submission of Annual Life Certificate.
5.	11(15)/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363 दिनांक 15.10.2024 11(15)/2022-P&PW(H)-8363 dated 15.10.2024	विदेश में रहने वाले पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की बाबत वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना। Submission of Annual Life Certificate in respect of pensioners/family pensioners living abroad.
6.	38/10(04)/2024-P&PW(A) (e 10124) dated 18.10.2024	Conditions for grant of additional pension to the retired Central Government Civil Employees covered under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.
7.	38/10(04)/2024-P&PW(A) (e 10124) dated 18.10.2024	Revision of pension after authorisation under Central Civil Services (Pension) Rules 2021 - reg.
8.	11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(I) दिनांक 24.10.2024 11/15/2022-P&PW(H)-8363(I) dated 24.10.2024	पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन - पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह। Change of name of spouse - Advice of Department of Pension and Pensioners' Welfare
9.	11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(III) दिनांक 24.10.2024 11/15/2022-P&PW(H)-8363(III) dated 24.10.2024	ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने के मामलों पर कार्रवाई-संबंधी। Processing of cases for authorization of pension/family pension in respect of a Government servant who is not in a position to submit the pension forms on account of any bodily or mental infirmity-reg.

13/12/24

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं. / Office Memorandum No.	विषय/ Subject
10.	11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(IV) दिनांक 25.10.2024 11/15/2022-P&PW(H)-8363(IV) dated 25.10.2024	सरकारी कर्मचारी के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत होने पर पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्रवाईयों को पूरा करने की समय-सीमा। Timelines for completion of various activities in the process of authorization of pension and gratuity on retirement on superannuation of a government servant.
11.	1/15/2024-पी&पीडबल्यू(एफ)/9809 दिनांक 25.10.2024 1/15/2024-P&PW(F)/9809 dated 25.10.2024	प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पेंशन संबंधी नियमों का कार्यान्वयन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभों का समय पर जारी किया जाना। Implementation of pension related rules and timely release of retirement benefits by the administrative Ministries / Departments.
12.	11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(II) दिनांक 30.10.2024 11/15/2022-P&PW(H)-8363(II) dated 30.10.2024	केंद्र सरकार के पेंशनभोगी के कुटुंब के ब्यौरे से पुत्री का नाम हटाने पर स्पष्टीकरण। Clarification on deletion of name of daughter from the family details of a Central Government pensioner.

भवदीय/Yours faithfully,

13/12/24

(अमरेन्द्र कुमार / Amrendra Kumar)
अवर सचिव (नीति प्रभाग) / Under Secretary (Policy Division)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website
2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं 1/1(33)/2024-पीएंडपीडबल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली

दिनांक 10 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 के अधीन, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की दो पत्नियों के बीच कुटुंब पेंशन का निपटारा-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है और केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(6) के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के कुटुंब के सदस्यों को कुटुंब पेंशन निम्न क्रमानुसार संदेय होगी -

(i) उप-नियम(8) के उपबंधों के अधीन, विधवा या विधुर, (सेवानिवृत्ति के पश्चात विवाहित पति/पत्नी और न्यायिक्तः पृथक्कृत पत्नी/पति भी सम्मिलित),

(ii) उप-नियम(9) के उपबंधों के अधीन, बच्चे(दतक बच्चे, सौतेले बच्चे और पेंशनभोगी की सेवानिवृति के पश्चात् जन्मे बच्चे भी सम्मिलित),

(iii) उप-नियम(10) के उपबंधों के अधीन, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के आश्रित माता-पिता(दत्तक माता-पिता सम्मिलित),

(iv) उप-नियम(11) के उपबंधों के अधीन, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के आश्रित सहोदर(अर्थात् भाई या बहन) जो किसी मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त हों।

जबकि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(6)(1) के लिए दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार - इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'विधवा' और 'विधुर' से, मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के साथ कानूनी तौर पर विवाहित क्रमशः महिला और पुरुष अभिप्रेत होगा।

3. जबकि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(8)(ग) के अनुसार-

जहां मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक विधवाओं को छोड़ जाता है, विधवाओं को बराबर अंशों में कुटुंब पेंशन का संदाय होगा और विधवा की मृत्यु या अपात्रता होने पर, कुटुंब पेंशन का उसका अंश उसके बच्चे या बच्चों के लिए देय होगा जो उप-नियम (9) में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करता है या करते हैं।

4. इस संबंध में, इस विभाग में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें पहली पत्नी के जीवित रहने पर दूसरी पत्नी की कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता के बारे में पूछा गया है। पहली पत्नी के जीवित रहते हुए, दूसरी पत्नी रखना हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के उपबंधों के विरुद्ध है तथा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के उपबंधों के भी प्रतिकूल है। इस मामले की जांच की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाए और कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता का निर्धारण करने के लिए, दूसरी पत्नी या दूसरे विवाह के वैध या अन्यथा, होने के मुद्दे पर, विधि कार्य विभाग से परामर्श करके, मामले के अनुसार निर्णय लिया जाए।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन दो पत्नियों के बीच कुटुंब पेंशन का निपटारा करने संबंधी निर्णय लेने से पूर्व विधि कार्य विभाग से परामर्श करने की प्रक्रिया का पालन करें, साथ ही इन निदेशों को मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशनभोगी हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

10/10/24

(सोनिका खट्टर)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(33)/2024-P&PW(E)
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

......

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi- 110003.
Dated 10th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Settlement of Family Pension between two wives of a Government Servant or Pensioner under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 - reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension,in supersession of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 and Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50 (6) of the CCS (Pension) Rules, 202, the family pension shall be payable to the members of the family of the deceased Government servant or pensioners in the following order -

i. Subject to provisions of sub-rule (8), widow or widower, (including a post-retiral spouse and judicially separated wife or husband)
ii. subject to provisions of sub-rule (9), children (including adopted children, step children and children born after retirement of the pensioner),
iii. subject to provisions of sub-rule (10), dependent parents (including adoptive parents) of the deceased Government servant or pensioner,
iv. subject to provisions of sub-rule (11), dependent siblings (i.e. brother or sister) of the deceased Government servant or pensioner, suffering from a mental or physical disability

Whereas the Explanation to Rule 50(6) (1) of the CCS (Pension) Rules, 2021 states that -For the purpose of this rule 'widow' and 'widower' shall mean a spouse, legally wedded to the deceased Government servant or the pensioners.

3. Whereas Rule 50(8)(c) of the CCS (Pension) Rules, 2021 states that-

Where the deceased Government servant or pensioner is survived by more widow than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares and on the death or ineligibility of a widow, her share of the family pension shall become payable to her child or children who fulfil the eligibility conditions mentioned in sub-rule (9).

4. In this regard, references have been received in this department regarding eligibility of family pension to the second wife when the first wife is alive. Having second wife when the first wife is alive is against the provisions of Hindu Marriage Act, 1955 and also contradictory to the provisions of CCS(Pension) Rules, 2021. The matter has been examined and it has been decided that such cases needs to be processed in accordance with the provisions of CCS (Pension) Rules, 2021 and the issue of second wife or second marriage being legal or otherwise, may be decided first in consultation with Department of Legal Affairs on case to case basis for deciding the eligibility for Family Pension.

5. All Ministries/Departments are requested to follow the process of consultation with Department of Legal Affairs before arriving at decision regarding Settlement of Family Pension between two wives under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021. Such cases must be brought to the notice of the officer dealing with the pensioners' benefits in the respective Ministry/Department by the attached/subordinate offices.

10/10/24

(Sonika Khattar)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organizations (As per attached list).

11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 11-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन मामले पर कार्रवाई होने के पश्चात, किसी ऐसी घटना के बारे में, जिसका पेंशन या किन्हीं सरकारी शोध्यों से संबंध है, लेखा अधिकारी को प्रज्ञापना देने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 61 में, किसी ऐसी घटना के बारे में, जिसका पेंशन या किन्हीं सरकारी शोध्यों से संबंध है, लेखा अधिकारी को प्रज्ञापना देने के लिए, कार्यालय अध्यक्ष की भूमिका स्पष्ट की गई है। नियम 61 के अनुसार, पेंशन मामले को लेखा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है :-

(1) यदि, नियम 60 के अधीन पेंशन मामले और पेंशन पत्रों को लेखा अधिकारी को भेज देने के पश्चात कोई ऐसी घटना घटती है जिसका संबंध अनुज्ञेय पेंशन की रकम से है, तो इस तथ्य की रिपोर्ट कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी को तुरंत की जाएगी।

(2) यदि, नियम 60 के उप-नियम(2) के अधीन लेखा अधिकारी को सरकारी शोध्यों की विशिष्टियों की प्रज्ञापना देने के पश्चात कोई अतिरिक्त सरकारी शोध्य कार्यालय अध्यक्ष की जानकारी में आते हैं, तो ऐसे शोध्यों की लेखा अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट की जाएगी।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 61 के उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 24644631

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

11/15/2022-P&PW(II)-8363
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 11-10-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Intimation to Accounts Officer regarding any event having bearing on pension or any Government dues after processing of pension case under the CCS (Pension) Rules, 2021-reg.**

The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. Rule 61 of CCS (Pension) Rules, 2021 stipulates the role of Head of Office towards the intimation to Accounts Officer regarding any event having bearing on pension or any Government dues. In accordance with Rule 61, following actions needs to be taken by Head of Office after submission of pension case to the Accounts Officer:

(1) If, after the pension case and pension papers have been forwarded to the Accounts Officer under Rule 60, any event occurs which has a bearing on the amount of pension admissible, the fact shall be promptly reported to the Accounts Officer by the Head of Office.

(2) If, after the particulars of Government dues have been intimated to the Accounts Officer under sub-rule (2) of Rule 60, any additional Government dues come to the notice of the Head of Office, such dues shall be promptly reported to the Accounts Officer.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Rule 61 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक :11-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन केंद्र सरकार के कर्मचारी की अधिवर्षिता होने पर पेंशन मामले पर कार्रवाई।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 57 केंद्र सरकार के कर्मचारी की अधिवर्षिता होने पर पेंशन मामलों पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित है। नियम 57 के अनुसार, कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की अधिवर्षिता की तारीख से एक वर्ष पूर्व किए जाने वाले प्रारंभिक कार्य की अवधि को निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में विभाजित करेगा, अर्थात् :-

(क) पहला प्रक्रम- सेवा का सत्यापन;-

(i) कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका को देखेगा और अपना यह समाधान कर लेगा कि नियम 30 के अधीन सत्यापित सेवा के पश्चातवर्ती सेवा का सत्यापन के प्रमाणपत्र उसमें अभिलिखित है या नहीं;

(ii) सेवा के असत्यापित प्रभाग या प्रभागों की बाबत वह यथास्थिति, सेवा के उस प्रभाग या उन प्रभागों को वेतन बिलों, निस्तारण पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों जैसे कि अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तथा अप्रैल मास की वेतन पर्ची(जो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवा के सत्यापन को दर्शाती है) के आधार पर सत्यापित करेगा और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाणपत्रों को अभिलिखित करेगा;

(iii) यदि किसी अवधि की सेवा का उपखंड(i) और उपखंड(ii) में विनिर्दिष्ट रीति से इस कारण सत्यापन नहीं किया जा सकता है कि उस अवधि में सरकारी कर्मचारी ने किसी अन्य कार्यालय या विभाग में सेवा की थी तो कार्यालय अध्यक्ष, जिसके अधीन सरकारी कर्मचारी वर्तमान में सेवारत है, उस कार्यालय के जिसमें सरकारी कर्मचारी के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसने उस काल में वहां सेवा की थी; कार्यालय अध्यक्ष को मामला सत्यापन के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करेगा;

(iv) उपखंड(iii) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, उस कार्यालय या विभाग का कार्यालय अध्यक्ष उपखंड(ii) में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी सेवा के प्रभाग या प्रभागों का सत्यापन करेगा और ऐसे संदर्भ के प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निर्दिष्ट करने वाले कार्यालय अध्यक्ष को आवश्यक प्रमाणपत्र संप्रेषित करेगा;

परंतु यदि किसी अवधि की सेवा का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, इसे एक साथ निर्दिष्ट करने वाले कार्यालय अध्यक्ष के संज्ञान में लाना होगा;

(v) यदि पूर्ववर्ती उपखंड में निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी अवधि या अवधियां पेंशन के लिए अर्हक समझी जाएंगी;

(vi) यदि इसके पश्चात् किसी भी समय, यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष या अन्य संबद्ध प्राधिकारियों ने सेवा के किसी भी अनर्हक अवधि की संसूचना नहीं दी, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव इस प्रकार संसूचित नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदारी तय करेगा;

(vii) उपखंड(i), (ii), (iii), (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अधिवर्षिता की तारीख से आठ मास पूर्व पूरी की जाएगी;

(viii) यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के किसी प्रभाग को उपखंड(i) या उपखंड(ii) या उपखंड(iii) या उपखंड(iv) या उपखंड(v) में विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापित नहीं किया जा सकता है तो सरकारी कर्मचारी को एक मास के भीतर सादे कागज पर एक लिखित कथन फ़ाइल करने के लिए कहा जाएगा जिसमें वह यह बताएगा कि उसने वास्तव में उस अवधि में सेवा की थी और कथन के अंत में वह इस बात के प्रतीक स्वरूप ऐसे घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा कि उस कथन में जो कुछ कहा गया है वह सही है;

(ix) यदि उपखंड(iii) में निर्दिष्ट लिखित कथन में दिए गए तथ्यों पर विचार कर लेने के पश्चात कार्यालय अध्यक्ष का समाधान हो जाता है तो वह सेवा के उस प्रभाग के बारे में यह स्वीकार करेगा कि वह सेवा उस सरकारी कर्मचारी की पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए की गई सेवा है; तथा

(x) यदि किसी सरकारी कर्मचारी को जानबूझकर कोई गलत जानकारी देते हुए पाया जाता है, जो उसे ऐसे किसी भी लाभ का हकदार बनाता है, जिसका अन्यथा वह हकदार नहीं है, तो उसे एक गंभीर अवचार माना जाएगा।

(ख) दूसरा प्रक्रम- सेवा पुस्तिका के लोपों की पूर्ति,-

(i) सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करते समय कार्यालय अध्यक्ष उनमें ऐसे लोपों, त्रुटियों या कमियों का पता करेगा, जिनका परिलब्धियों के अवधारण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा से सीधा संबंध है;

(ii) खंड(क) में यथाविनिर्दिष्ट, सेवा के सत्यापन को पूरा करने के लिए और उपखंड(i) में निर्दिष्ट लोपों को पूरा करने, त्रुटियों और कमियों को दूर करने की हर चेष्टा की जाएगी;

(iii) ऐसे लोप, त्रुटि या कमी जिसे पूरा न किया जा सके तथा सेवा की अवधि जिसके बारे में सरकारी कर्मचारी ने कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया हो तथा सेवा का वह प्रभाग जो सेवा पुस्तिका में असत्यापित दिखाया गया है और जिसे खंड(क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं है, उपेक्षा की जाएगी और सेवा पुस्तिका के प्रविष्टियों के आधार पर पेंशन अर्हक सेवा का अवधारण किया जाएगा;

(iv) परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों की गणना करने के प्रयोजन से कार्यालय अध्यक्ष सेवा के अंतिम दस मास में ली गई या ली जाने वाली परिलब्धियों की शुद्धता सेवा पुस्तिका से सत्यापित करेगा;

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के अंतिम दस मास में परिलब्धियां सेवा पुस्तिका में ठीक प्रकार से दर्शाई गई है, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व केवल चौबीस मास की अवधि की परिलब्धियों की शुद्धता का सत्यापन करेगा और उस तारीख से पूर्व की किसी अवधि के बारे में नहीं।

(ग) तीसरा प्रक्रम- जैसे ही दूसरा प्रक्रम पूरा होता है, किंतु सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व, कार्यालय अध्यक्ष,-

(i) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को पेंशन तथा उपदान के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित अर्हक सेवाकाल और सेवानिवृत्ति उपदान तथा पेंशन की संगणना के लिए प्रस्तावित परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों के संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा;

(ii) यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपदर्शित प्रमाणित सेवा और परिलब्धियां उसको स्वीकार नहीं है, तो सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को दो मास के भीतर, उसके दावे के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित अस्वीकृति के कारणों को कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करने का निदेश देगा;

(iii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को प्ररूप 6-क प्रस्तुत करने की सलाह देगा।

(2) (क) सरकारी कर्मचारी कार्यालय अध्यक्ष को सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 6-क अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व प्रस्तुत करेगा;

(ख) सरकारी कर्मचारी प्ररूप 6-क में आवेदन कर सकेगा, यदि वह केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण), नियमावली 1981 के अनुसार पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृत कराने का इच्छुक हो।

(3) (क) जहां कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण सरकारी कर्मचारी उप-नियम(2) में निर्दिष्ट प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी या पति/पत्नी की अनुपस्थिति में, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र कुटुंब के सदस्य को प्ररूप 6-क प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(ख) यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कुटुंब का कोई भी सदस्य पात्र नहीं है, तो कुटुंब के उस सदस्य को, जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा उपदान के भुगतान के लिए नामनिर्देशन किया गया था, प्ररूप 6-क के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी :

परंतु जहां उक्त प्ररूप पति/पत्नी या कुटुंब के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सरकारी कर्मचारी तब तक पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृत कराने के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण), नियमावली 1981 के अनुसार ऐसे संराशीकरण के लिए बाद में वह स्वयं आवेदन नहीं करता।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 57 के अधीन केंद्र सरकार के कर्मचारी की अधिवर्षिता होने पर पेंशन मामलों पर कार्रवाई करने संबंधी उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644631

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन(मानक सूची के अनुसार)

11/15/2022-P&PW(H)-8363
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 11-10-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Processing of pension case on superannuation under CCS (Pension) Rules, 2021 in respect of Central Government Servant.**

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. Rule 57 of CCS (Pension) Rules, 2021 stipulates the procedure for processing of pension cases in respect of Central Government servant on superannuation. Rule 57 provides that the Head of Office shall divide the period of prepatory work of one year before the date of superannuation of Government servant in the following three stages, namely:-

(a) First Stage – Verification of service;-

(i) the Head of Office shall go through the service book of the Government servant and satisfy himself as to whether the certificates of verification for the service subsequent to the service verified under Rule 30 are recorded therein;

(ii) in respect of the unverified portion or portions of service, he shall verify the portion or portions of such service, as the case may be, based on pay bills, acquittance rolls or other relevant records, such as last pay certificate and pay slip for month of April (which shows verification of service for the previous financial year) and record necessary certificates in the service books;

(iii) If the service for any period is not capable of being verified in the manner specified in sub-clause (i) and sub-clause (ii), that period of service having been rendered by the Government servant in another office or Department, the Head of Office under which the Government servant is at present serving shall refer the said period of service to the Head of Office in which the Government servant is shown to have served during that period for the purpose of verification;

(iv) on receipt of communication referred to in sub-clause (iii), the Head of Office in that office or Department shall verify the portion or portions of such service, in the manner as specified in

sub-clause (ii), and send necessary certificates to the referring Head of Office within two months from the date of receipt of such a reference:

Provided that in case a period of service is incapable of being verified, it shall be brought to the notice of the referring Head of Office simultaneously;

(v) If no response is received within the time referred to in the preceding sub-clause, such period or periods shall be deemed to qualify for pension.

(vi) If at any time thereafter, it is found that the Head of Office and other concerned authorities had failed to communicated any non-qualifying period of service, the Secretary of the administrative Ministry or Department shall fix responsibility for such non-communication;

(vii) The process specified in sub-clauses (i), (ii), (iii), (iv) and (v) shall be completed eight months before the date of superannuation;

(viii) if any portion of service rendered by a Government servant is not capable of being verified in the manner specified in sub-clause (i) or sub-clause (ii) or sub-clause (iii) or sub-clause (iv) or sub-clause (v), the Government servant shall be asked to file a written statement on plain paper within a month, stating that he had in fact rendered service for that period, and shall, at the foot of the statement, make and subscribe to a declaration as to the truth of that statement;

(ix) the Head of Office shall, after taking into consideration the facts in the written statement referred to in sub-clause (viii) admit that portion of service as having been rendered for the purpose of calculating the pension of that Government servant; and

(x) if a Government servant is found to have given any incorrect information willfully, which makes him or her entitled to any benefits which he or she is not otherwise entitled to, it shall be construed as a grave misconduct.

(b) Second State - Making good the omissions in the service book, –

(i) the Head of Office while scrutinizing the certificates of verification of service, shall also identify if there are any other omissions, imperfections or deficiencies which have a direct bearing on the determination of emoluments and the service qualifying for pension;

(ii) every effort shall be made to complete the verification of service, as specified in clause (a) and to make good the omissions, imperfections or deficiencies referred to in sub-clause (i);

(iii) any omission, imperfection or deficiency which is incapable of being made good and the periods of service about which the Government servant has submitted no statement and the portion of service shown as unverified in the service book which it has not been possible to verify in accordance with the procedure laid down in clause (a) shall be ignored and service qualifying for pension shall be determined on the basis of the entries in the service book;

(iv) for the purpose of calculation of emoluments and average emoluments, the Head of Office shall verify from the service book the correctness of the emoluments drawn or to be drawn during the last ten months of service;

(v) in order to ensure that the emoluments during the last ten months of service have been correctly shown in the service book, the Head of Office shall verify the correctness of emoluments only for the period of twenty four months preceding the date of retirement of a Government servant, and not for any period prior to that date.

(c) Third Stage.- As soon as the second stage is completed, but not later than eight months prior to the date of retirement of the Government servant, the Head of Office shall,-

(i) furnish to the retiring Government servant a certificate regarding the length of qualifying service proposed to be admitted for the purpose of pension and gratuity and also the emoluments and the average emoluments proposed to be reckoned for retirement gratuity and pension;

(ii) direct the retiring Government servant to furnish to the Head of Office the reasons for non-acceptance, supported by the relevant documents in support of his claim within two months if the certified service and emoluments as indicated by the Head of Office are not acceptable to him;

(iii) advise the retiring Government servant to submit Form 6-A.

(2) (a) The Government servant shall submit duly completed Form 6-A to the Head of the Office, not later than six months prior to his date of retirement.;

(b) The Government servant shall also apply in Form 6-A, if he so desires, for commutation of a percentage of pension in accordance with the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.

(3) (a) Where the Head of Office is satisfied that the Government servant is not in a position to submit the forms referred to in sub-rule (2) on account of any bodily or mental infirmity, the Head of Office may allow the spouse of the Government servant or, in the absence of the spouse, the member of the family eligible to receive family pension on death of Government servant, to submit Form 6-A.

(b) If there is no member of the family eligible to receive family pension on death of Government servant, a member of the family in whose favour a nomination was made by the Government servant for payment of gratuity, may be allowed to submit Form 6-A:

Provided that where the said form is submitted by the spouse or any other member of the family, the Government servant shall not be entitled to the benefit of commutation of

pension until he himself subsequently applies for such commutation in accordance with the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.

All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Rule 57 of CCS (Pension) Rules, 2021, regarding procedure for processing of pension cases in respect of Central Government servant on superannuation, may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631

To

All Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

सं.11(15)/2022-पी&पीडबल्यू (एच)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोक नायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 11th अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : - वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।

केंद्रीय सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी को अपनी पेंशन आगे जारी रखने के लिए नवंबर मास में वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। यह देखा गया है कि इस प्रयोजन के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखाओं में जाते हैं।

2. अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए एक अतिरिक्त विशेष विंडो देने के लिए, इस विभाग ने दिनांक 18.07.2019 के अपने का.ज्ञा.सं. 1/20/2018-पी&पीडबल्यू(ई) द्वारा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर के स्थान पर 1 अक्तूबर से वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

3. वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनभोगी के लिए उपलब्ध विभिन्न तरीकों को एक बार फिर पेंशनभोगियों की जागरूकता के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। पेंशनभोगी की सुविधानुसार वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र मैन्युअल रूप से या डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है:–

i. पेंशन संवितरण प्राधिकरणों(पीडीए) द्वारा जीवन प्रमाणपत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है, यदि पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से पीडीए के समक्ष उपस्थित होता है।

ii. पेंशनभोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी, यदि पेंशनभोगी किसी 'नामित अधिकारी' द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्ररूप प्रस्तुत करता है, सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार, निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, निर्धारित प्ररूप में जीवन प्रमाणपत्र जमा करने वाले पेंशनभोगी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है। सीपीएओ की योजना पुस्तिका के अनुसार जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए नामित अधिकारियों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

iii. पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। "जीवन प्रमाण" के माध्यम से फिंगरप्रिंट द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया https://youtu.be/nNMIkTYqTF8 पर देखी जा सकती है। यूआईडीएआई ने ऐसे सभी बायोमेट्रिक उपकरणों का ब्यौरा उपलब्ध कराया है जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए अनुमत हैं। पेंशनभोगी ऐसे सभी उपकरणों की जानकारी www.uidai.gov.in साइट पर प्राप्त कर सकते हैं।

iv. पेंशनभोगी यूआईडीएआई आधार सॉफ्टवेयर पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी प्रणाली का उपयोग करके भी जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं, जिसके द्वारा ऑनलाइन जमा करने के लिए, किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से, जीवन प्रमाण मोबाइल एप्लिकेशन पर पेंशनभोगी की लाइव तस्वीर को कैप्चर करके, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट किया जा सकता है। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी जनरेट करने की पूरी प्रक्रिया, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पेंशनर्स पोर्टल पर "जीवन प्रमाण→ डीएलसी तैयार करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन पूरी प्रक्रिया" उपलब्ध है। URL:http://pensionersportal.gov.in/Document/Face_JP.pdf

v. डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक(आईपीपीबी) ने मेटी(MeitY) के साथ मिलकर नवंबर, 2024 में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पहल: "डाकियों के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए डोरस्टेप सेवा" को सफलतापूर्वक शुरू किया है। आईपीपीबी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करने के लिए, डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, 1.41 लाख से अधिक डाकघरों तथा स्मार्ट फोन और बायोमेट्रिक उपकरणों से लैस 2.06 लाख से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के अपने राष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। आईपीपीबी द्वारा दी जा रही डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका यूआरएल है : https://ippbonline.com/web/ippb/digital-life-certificate1। डोरस्टेप सेवा का अनुरोध निम्नानुसार किया जा सकता है :

क. स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर से "Post info APP" डाउनलोड करके।

ख. कंप्यूटर पर ippbonline.com के माध्यम से।

ग. डाकघर के माध्यम से।

घ. 155299/033-22029000 पर कॉल करके।

ङ. contact@ippbonline.in पर ईमेल करके।

vi. 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एलायंस, जो बैंकिंग सुधारों में सुगमता के अंतर्गत देश के 100 प्रमुख शहरों में अपने ग्राहकों के लिए "डोरस्टेप बैंकिंग" की सुविधा प्रदान करते हैं, के माध्यम से भी डोरस्टेप बैंकिंग उपलब्ध है। पीएसबी एलायंस ने डोरस्टेप बैंकिंग(डीएसबी)के अंतर्गत जीवन प्रमाणपत्र के संग्रहण की सेवा शुरू की है। डीएसबी एजेंट सेवा प्रदान करने के लिए पेंशनभोगी के घर पर जाएगा। पेंशनभोगी निम्नलिखित 3 चैनलों में से किसी भी एक द्वारा सेवा बुक कर सकते हैं :

- मोबाइल – 'डोरस्टेप बैंकिंग ऐप' - गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर ,
- वेबसाइट - https://psballiance.com/doorstep-banking.html
- टोल फ्री नंबर – 9152220220 पर कॉल करके

4. सभी पेंशन संवितरण प्राधिकरणों से अनुरोध है कि अनुपालनार्थ इस कार्यालय ज्ञापन का संज्ञान लें और पेंशनभोगियों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644431

सेवा में,

1. सभी पेंशन संवितरण बैंक और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों के सीएमडी/सीपीपीसी ।
2. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय(सीपीएओ), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट -II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली ।
4. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक,नई दिल्ली।
5. सचिव, पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली।
9. एनआईसी : - इस विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु ।
10. पेंशनभोगियों के पोर्टल के अंतर्गत सभी पेंशनभोगी संघ:- पेंशनभोगियों के बीच प्रचार-प्रसार के लिए।

जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची(सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार)

(i) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;

(ii) भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार;

(iii) सरकारी राजपत्रित अधिकारी;

(iv) पुलिस थाने का न्यूनतम उप-निरीक्षक के पद का प्रभारी पुलिस अधिकारी;

(v) डाकघर का पोस्टमास्टर, विभागीय उप- पोस्टमास्टर या निरीक्षक;

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक का ग्रेड-I अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंक का अधिकारी(ग्रेड-II अधिकारी सहित);

(vii) न्यायमूर्ति;

(viii) खंड विकास अधिकारी, मुनसिफ, तहसीलदार या नायब तहसीलदार:

(ix) पंचायत, ग्राम पंचायत, गांव पंचायत या किसी गांव की कार्यकारी समिति का प्रमुख;

(x) गांव की कार्यपालक समिति

(xi) संसद सदस्य, राज्य विधान सभा का सदस्य, या संघ शासित प्रदेश/प्रशासन की विधान सभा का सदस्य;

(xii) कोषागार अधिकारी।

No. 11(15)/2022-P&PW(H)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 11th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Submission of Annual Life Certificate.

Every Central Government pensioner has to submit Annual Life Certificate in the month of November for further continuation of pension. It has been observed that a large number of Central Government pensioners physically visit bank branches for this purpose.

2. As a measure to enable an additional exclusive window to very senior pensioners, this Department, vide its OM No. 1/20/2018-P&PW(E) dated 18.07.2019, has allowed the pensioners in the age group of 80 years and above, to submit Annual Life Certificate from 1st October onwards, instead of 1st November onwards, every year.

3. The different modes available to a pensioner for submission of Annual Life Certificate are once again summarized for Pensioners' awareness. An Annual Life Certificate can be submitted manually or digitally as per convenience of the pensioner by following modes: -

i. Life certificate can be recorded by Pension Disbursing Authorities (PDAs), if the pensioner physically appears before the PDA.

ii. Personal appearance of a pensioner will not be required, if the pensioner submits the life certificate form signed by any 'designated official'. In accordance with para 14.3 of the Scheme Booklet issued by CPAO, a pensioner who produces a life certificate in the prescribed form, signed by persons specified, is exempted from personal appearance. A list of designated officials specified for signing the Life Certificate as per the scheme booklet of CPAO is attached as **Annexure-I**.

iii. Pensioners can submit Life Certificate online through Jeevan Pramaan Portal. The process of submission of Digital Life Certificate, through "Jeevan Pramaan", using fingerprint, may be seen at https://youtu.be/nNMlkTYqTF8 . UIDAI has provided details of all biometric devices which are permissible for capturing biometrics of a person. Pensioners may visit the site www.uidai.gov.in to get information of all such devices.

iv. Pensioners can also submit Life Certificates using the Face Authentication technology system based on UIDAI Aadhaar software whereby it is possible to generate a Digital Life Certificate from any Android based smart phone by capturing the live photograph of the pensioner for online submission on the Jeevan Pramaan mobile application. The process flow for generating DLCs through Face Authentication is available on DoPPW's Pensioners Portal at Jeevan Pramaan ➔ Process flow of face authentication technique for DLC generation. URL: https://pensionersportal.gov.in/Document/Face_JP.pdf .

v. India Post Payments Bank (IPPB) of Department of Posts along with MeitY has successfully launched the initiative of the Department of Pension & Pensioners' Welfare: "Doorstep Service for submission of Digital Life Certificate through Postman" in November, 2020. IPPB is utilizing its national network of more than 1.41 lakh access points in Post Offices and more than 2.06 lakhs Postmen & Gramin Dak Sevaks with smart phones and biometric devices to provide Doorstep Banking Services for generation of Digital Life Certificates. Information about Digital Life Certificates facility through IPPB is available on the website with URL: https://ippbonline.com/web/ippb/digital-life-certificate1 . The request for doorstep service can be placed through:

a. Post Info app, downloaded from Play store on Smartphones.
b. Through Computer on ippbonline.com.
c. Through post office
d. By calling on number 155299/ 033-22029000.
e. Email on contact@ippbonline.in

vi. Doorstep Banking is also available through the Alliance comprising 12 Public Sector Banks which do "Doorstep Banking" for its customers in 100 major cities of the country under Ease of Banking Reforms. PSB Alliance has introduced the service for collection of Life Certificates under the umbrella of Doorstep Banking (DSB). DSB Agent shall visit the doorstep of Pensioner to render the service. Service can be booked by the pensioner through any of the following three channels:

- Mobile - 'Doorstep Banking' app – Google Play Store and App store
- Website- https://psballiance.com/doorstep-banking.html
- Call on toll-free number- 9152220220

4. All Pension Disbursing Authorities are requested to take note of this OM for compliance and give wide publicity of the same amongst pensioners.

5. This issues with the approval of the competent authority.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 24644431

To

1) CMDs/CPPCs of all Pension Disbursing Banks and Pension Disbursing Authorities.
2) Central Pension Accounts Office (CPAO), Ministry of Finance, Department of Expenditure, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
3) Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
4) Secretary, Ministry of Defence, South Block, New Delhi.
5) Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, South Block, New Delhi.
6) Secretary, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi.
7) Secretary, Department of Telecommunications, Sanchar Bhavan, New Delhi.
8) Secretary, Department of Posts, Dak Bhavan, New Delhi
9) NIC: -for posting on website of this Department.
10) All Pensioners Associations under Pensioners' Portal: for giving vide publicity among pensioners.

Annexure-I

List of persons specified for signing the Life Certificate (Para 14.3 of Scheme Booklet by CPAO)

i. A person exercising the powers of a Magistrate under the Criminal Procedure Code;
ii. A Registrar or Sub-Registrar appointed under Indian Registration Act;
iii. A Gazetted Officer of the Government;
iv. A Police Officer not below the rank of Sub-Inspector in-charge of a Police Station;
v. A Postmaster, a departmental Sub-Postmaster or an Inspector of Post Offices;
vi. A Class-I office of the Reserve Bank of India, An Officer (including Grade-11 Officer) of the State Bank of India or of its subsidiary;
vii. A Justice of Peace;
viii. A Block Development Officer, Munsif, Tehsildar or Naib Tehsildar;
ix. A Head of Village Panchayat, Gram Panchayat, Gaon Panchayat or an
x. Executive Committee of a Village;
xi. A Member of Parliament or State Legislatures or of Legislatures of Union Territory Governments/Administrations;
xii. Treasury Officer

***

सं.11(15)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8363

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली,

दिनांक : 15th अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- विदेश में रहने वाले पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की बाबत वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।

केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को अपनी पेंशन/कुटुंब पेंशन आगे जारी रखने के लिए नवंबर माह में **वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र** प्रस्तुत करना होता है। विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के मामले में, जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं -

i. विदेश में रहने वाले और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी दूसरे बैंक के माध्यम से अपनी पेंशन/कुटुंब पेंशन आहरित करने वाले पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के मामले में, बैंक के किसी अधिकारी द्वारा जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। बैंक के उपर्युक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलती है।

ii. भारत में निवास नहीं करने वाले पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिसका विधिवत अधिकृत एजेंट मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंकर या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है।

iii. पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। https://jeevanpramaan.gov.in/

(सीपीएओ योजना पुस्तिका पैरा संख्या 14.3, पृष्ठ संख्या 38 - पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र - अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन संदाय करने की योजना (*पांचवां संस्करण, जुलाई 2021*)

iv. एनआरआई पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के मामले में, जो व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत आने में असमर्थ हैं, उस देश, जहां पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी निवास कर रहा है, के भारतीय दूतावास/भारतीय उच्चायोग के अधिकृत अधिकारी या भारतीय वाणिज्य दूतावास के वाणिज्यदूत द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर पेंशन/कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा दी जा सकती है। पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के पीपीओ में चिपकाए गए फोटोग्राफ के आधार पर या पासपोर्ट या किसी अन्य ऐसे दस्तावेज पर चिपकाए गए फोटोग्राफ के आधार पर सत्यापन के बाद यह प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

v. यदि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास जाने में असमर्थ है, तो वह इस आशय का डॉक्टरी प्रमाणपत्र कि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, के साथ अपेक्षित दस्तावेज डाक द्वारा प्रेषित कर सकता है। भारतीय दूतावास/उच्चायोग/भारतीय वाणिज्य दूतावास भी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में सहायता कर सकता है।

(सीपीएओ योजना पुस्तिका पैरा संख्या 16, पृष्ठ 44 - एनआरआई पेंशनभोगियों को पेंशन का संदाय - अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन संदाय करने की योजना (*पांचवां संस्करण, जुलाई 2021*)

(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :

1. सचिव, सीपीवी और प्रवासी भारतीय मामले
2. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
4. सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण
5. सचिव डाक
6. सचिव दूरसंचार
7. लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग
8. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी/एमडी
9. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी प्रमुख।
10. एनआईसी : - इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. पेंशनर्स पोर्टल के अंतर्गत सभी पेंशनर्स एसोसिएशन: - पेंशनभोगियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए।

F. No. 11(15)/2022-P&PW(H)-8363
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department to Pension & Pensioners' Welfare

3rd floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi
15th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Submission of Annual Life Certificate in respect of pensioners/family pensioners living abroad.

Every Central Government pensioner/family pensioner has to submit **Annual Life Certificate** in the month of November for further continuation of pension/family pension. In the case of a pensioner/family pensioner residing abroad, the following methods are available for submission of life certificate -

i. In the case of a pensioner/family pensioner residing abroad and drawing his pension/family pension through any bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934, the life certificate may be signed by an officer of the Bank. A pensioner/family pensioner gets exemption from personal appearance subject to production of Life Certificate signed by the above mentioned officer of the bank.

ii. A pensioner/family pensioner not residing in India in respect of whom his duly authorized agent produces a life certificate signed by a Magistrate, a Notary, a Banker or a Diplomatic Representative of India is exempted from personal appearance.

iii. Pensioner/family pensioner can also provide Digital Life Certificate online through Aadhaar based biometric authentication system. https://jeevanpramaan.gov.in/

(CPAO SCHEME BOOKLET PARA No. 14.3, pg 38 - CERTIFICATES TO BE FURNISHED BY THE PENSIONERS/FAMILY PENSIONERS - SCHEME FOR PAYMENT OF PENSIONS TO CENTRAL GOVERNMENT CIVIL PENSIONERS By AUTHORISED BANKS (Fifth Edition, July 2021)

iv. In case of NRI pensioners/family pensioners who are unable to come to India for personal identification, pension/family pension may be allowed on the basis of a certificate to be issued by an authorized official of the Indian Embassy/High Commission of India or Consul of Indian Consulate in the country where the pensioner/family pensioner is residing. This certificate is to be issued on verification of Pensioner/Family Pensioner on the basis of photograph pasted in

the PPO or on the basis of photograph pasted on the Passport or any other such document.

v. In case the pensioner/family pensioner is unable to visit the Embassy of India/Consulate, he/she may submit requisite documents by post to the Embassy/Consulate, including Doctor's Certificate showing the pensioner's/family pensioner's inability to present himself/herself in person. Embassy of India/High Commission/ Indian Consulate may also assist pensioners/family pensioners in submission of the Life Certificate.

(CPAO SCHEME BOOKLET PARA No. 16, pg. 44 - Payment of Pension to NRI Pensioners -SCHEME FOR PAYMENT OF PENSIONS To CENTRAL GOVERNMENT CIVIL PENSIONERS By AUTHORISED BANKS (Fifth Edition, July 2021)

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Government of India

Copy to:

1. Secretary, CPV and Overseas Indian Affairs
2. Secretary Department of Financial Services
3. Chairman, Railway Board
4. Secretary, Ex-Servicemen Welfare
5. Secretary Posts
6. Secretary Telecom
7. Controller General of Accounts, Department of Expenditure
8. CMDs/MDs of all the Pension Disbursing Banks
9. Head of CPPCs of All Pension Disbursing Banks.
10. NIC: - for posting on website of this Department.
11. All Pensioners' Associations under Pensioners' Portal: - for giving vide publicity among pensioners.

F. No. 38/10(04)/2024-P&PW(A) (e 10124)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 18.10.2024

कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum

विषय:**Conditions for grant of additional pension to the retired Central Government Civil Employees covered under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021– reg.**

The undersigned is directed to say that as per the provisions of Sub Rule 6 of Rule 44 of CCS(Pension) Rules 2021 [erstwhile Rule 49(2-A) of CCS(Pension) Rules 1972], **after completion of eighty years of age or above by a retired Government servant**, in addition to a pension or a compassionate allowance admissible under the rules, additional pension or additional compassionate allowance shall be payable to the retired Government servant in the following manner:

Age of pensioner	**Additional pension/additional compassionate allowance**
From 80 years to less than 85 years	20% of basic pension/compassionate allowance
From 85 years to less than 90 years	30% of basic pension/compassionate allowance
From 90 years to less than 95 years	40% of basic pension/compassionate allowance
From 95 years to less than 100 years	50% of basic pension/compassionate allowance
100 years or more	100% of basic pension/compassionate allowance

2. The additional pension or additional compassionate allowance shall be payable from first day of the calendar month in which it falls due. For example, a pensioner born on 20th August, 1942 shall be eligible for additional pension at the rate of twenty percent of the basic pension with effect from 1st August, 2022. A pensioner born on 1st August, 1942 shall also be eligible for additional pension at the rate of twenty percent of the basic pension with effect from 1st August, 2022.

3. All Ministries/Departments and Pension Disbursing Authorities/Banks are requested that the above provisions of Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of all concerned for compliance.

18.10.24

(Madhu Mankotia)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 24644637

To,

All the Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

F. No. 38/10(04)/2024-P&PW(A) (e 10124)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 18.10.2024

कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum

विषय: **Revision of pension after authorisation under Central Civil Services (Pension) Rules 2021 – reg.**

The undersigned is directed to say that as per Sub Rule 2 of Rule 66 of CCS(Pension) Rules 2021 [erstwhile Rule 70 of CCS(Pension) Rules 1972], subject to provisions of Rule 7 and 8 of CCS(Pension) Rules 2021, **pension or family pension once authorised after final assessment or revised under Sub Rule 1 of Rule 66 of CCS(Pension) Rules 2021 shall not be revised to the disadvantage of the pensioner or family pensioner unless such revision becomes necessary on account of detection of a clerical error subsequently.** In case the clerical error is detected after a period of two years from the date of authorisation or revision of pension or family pension, no revision of pension to the disadvantage of the pensioner or family pensioner shall be ordered without the concurrence of Department of Pension and Pensioners' Welfare.

2. Further, **the question whether the revision has become necessary on account of a clerical error or not shall be decided by the administrative Ministry or Department**. If, consequent on revision of pension or family pension under sub-rule 2, an excess payment of pension or family pension is found to have been made to the pensioner or family pensioner **and if such excess payment is not on account of any misrepresentation of facts by the pensioner or family pensioner, the administrative Ministry or Department shall examine in consultation with the Department of Expenditure whether or not recovery of such excess payment can be waived off** and issue appropriate orders in accordance with the relevant rules and instructions in this regard. Where the administrative Ministry or Department decides not to waive off the excess payment of pension or family pension, the retired Government servant concerned or family pensioner shall be served with a notice by the Head of Office requiring him to refund the excess payment of pension within a period of two months from the date of receipt of notice by him. In case the Government servant fails to comply with the notice, the Head of Office shall, by order in writing, direct that such excess payment shall be adjusted in instalments by short payments of pension in future, in one or more instalments, as the Head of Office may direct.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of all concerned for compliance.

18.10.24
(Madhu Mankotia)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 24644637

To,

All the Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 24-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन – पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह।

अधोहस्ताक्षरी को पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 6-10-2022 के का.ज्ञा.सं. 3(2)/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-7942(प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। दिनांक 6-10-2022 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित सलाह निम्नानुसार है :

(i) केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात सरकारी कर्मचारी या पति/पत्नी के पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) में नाम/उपनाम के परिवर्तन के लिए पृथक रूप से कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) कर्मचारी की सेवा रिकॉर्ड/सेवा-पुस्तिका के आधार पर जारी किया जाता है और सेवा पुस्तिका के रखरखाव का कार्य कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है।

(ii) इसके अतिरिक्त, निदेशक(पीडब्लू), पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित सीपेनग्राम्स में लंबित शिकायतों की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सूचित किया गया कि वे कुटुंब पेंशनभोगी के नाम में परिवर्तन के लिए भी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 190016/187-स्था. का अनुसरण कर सकते हैं। यदि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ऐसा प्रतीत होता है कि पीपीओ में नाम में परिवर्तन करने के लिए दिए गए आवेदन के समर्थन में शिकायतकर्ता कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ विसंगति है, तो वे उनके साथ संपर्क करके इसका समाधान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि नाम में परिवर्तन करने के लिए किया गया अनुरोध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 190016/187-स्था. की शर्तों को पूरा करता है।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 24644631

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

सं.3(2)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-7942
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 6 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वर्गीय श्री मन मोहन चंदर, पूर्व सहायक के पेंशन संदाय आदेश (पीपीओ) में पत्नी श्रीमती सिमरो देवी के नाम में परिवर्तन- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह लेने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 8/7/2022 के यूओ सं. ए-38012/1/2021-प्रशा-II और इस विभाग के दिनांक 17/5/2022 के आईडी नोट सं. 3(2)/2022-पी&पीडब्ल्यू-7942 का संदर्भ देने का और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग की सलाह पहले ही उपरोक्त संदर्भित दिनांक 17/5/2022 के आईडी नोट द्वारा जारी की जा चुकी है।

2. इस विभाग में मामले की पुनः जांच की गई है। यह सूचित किया जाता है कि: -

(i) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकारी कर्मचारी या पति/पत्नी के पीपीओ में नाम/कुलनाम का परिवर्तन करने के लिए कोई पृथक प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। पीपीओ कर्मचारी के सेवा अभिलेख/सेवा पुस्तिका के आधार पर जारी किया जाता है और सेवा पुस्तिका के रखरखाव का संबंध डीओपीटी से है।

(ii) इसके अलावा, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निदेशक (पीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में आयोजित सीपेनग्राम्स में लंबित शिकायतों की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सूचित किया गया कि वे कुटुंब पेंशनभोगी के नाम में परिवर्तन के लिए भी डीओपीटी के दिनांक 12 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 190016/187-स्था. का अनुसरण करे। यदि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा पीपीओ में नाम परिवर्तन करने के लिए दिए गए आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ विसंगति है, तो वे उनके साथ संपर्क करके इसका समाधान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि नाम परिवर्तन करने के लिए किया गया अनुरोध डीओपीटी के दिनांक 12 मार्च, 1987 के का.ज्ञा. सं. 190016/187-स्था. की शर्तों को पूरा करता है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

सेवा में,
अवर सचिव (प्रशा. .II)
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ
नई दिल्ली

11/15/2022-P&PW(H)-8363 (I)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 24 -10-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Change of name of spouse- Advice of Department of Pension and Pensioners' Welfare.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 3(2)/2022-P&PW(H)-7942 dated 6-10-2022 regarding change of name of spouse (Copy attached). The advice contained in the above-mentioned OM dated 06-10-2022 are as under:

(i) There is no separate procedure prescribed in the CCS (Pension) Rules, 2021 or CCS (Pension) Rules, 1972 for change of name/surname in the PPO of Government employees or spouse after retirement. The PPO is issued on the basis of service record/service book of the employee and the maintenance of service book is concerned with DoPT.

(ii) Further, this matter was discussed in the inter-ministerial Review meeting of pending grievances in CPENGRAMS, held under the chairmanship of Director(PW), Department of Pension & Pensioners' Welfare. Ministry of Statistics & Programme Implementation were informed that they may follow DoPT's OM No. 190016/187-Estt. dated 12th March, 1987 for change of name of family pensioner also. In case the Ministry of Statistics &e Programme Implementation feels that there is some discrepancy in the documents submitted by the complainant family pensioner in support of her application for change of name in the PPO, they may sort it out with her directly and ensure that the request for change of name fulfils the conditions of DoPT's OM No. 190016/187-Est. dated 12th March, 1987.

2. All Ministries/Departments are requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder for compliance.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631

To
All Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

सं. 3(2)/2022-P&PW(H)-7942
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 6 अक्टूबर, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Change of name of spouse Smt. Simro Devi in PPO of Late Shri Man Mohan Chander, Ex-Asstt. seeking advice of Department of Pension & Pensioners' Welfare- reg.

The undersigned is directed to refer to the Ministry of Statistics & Programme Implementation's UO No. A-38012/1/2021-Ad.II dated 8/7/2022 and this Department's ID Note No. 3(2)/2022-P&PW-7942 dated 17/5/2022 on the subject mentioned above and to say that the advice of this Department has already been issued vide ID Note dated 17/5/2022 as referred to above.

2. The matter has been re-examined in this Department. It is stated that: -

(i) There is no separate procedure prescribed in the CCS (Pension) Rules, 2021 or CCS (Pension) Rules, 1972 for change of name/surname in the PPO of Government employees or spouse after retirement. The PPO is issued on the basis of service record/service book of the employee and the maintenance of service book is concerned with DoPT.

(ii) Further, this matter was discussed in the inter-ministerial Review meeting of pending grievances in CPENGRAMS, held under the chairmanship of Director(PW), Department of Pension & Pensioners' Welfare. Ministry of Statistics & Programme Implementation were informed that they may follow DoPT's OM No. 190016/187-Estt. dated 12th March, 1987 for change of name of family pensioner also. In case the Ministry of Statistics & Programme Implementation feels that there is some discrepancy in the documents submitted by the complainant family pensioner in support of her application for change of name in the PPO, they may sort it out with her directly and ensure that the request for change of name fulfils the conditions of DoPT's OM No. 190016/187-Estt. dated 12th March, 1987.

3. This issues with the approval of the competent authority.

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

To

The Under Secretary (Ad.II)
M/o Statistics & Programme Implementation
Khurshid Lal Bhawan, Janpath
New Delhi.

11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(III)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 24-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने के मामलों पर कार्रवाई- संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 28-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(2) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारी की बाबत पेंशन दावा प्राप्त करने से संबंधित अनुदेश जारी किए गए थे, जो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 57(3) के अनुसार किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है और इस नियमावली के नियम 80(5) के साथ पठित नियम 59(2) के अनुसार इन प्ररूपों पर आगे कार्रवाई करने की प्रक्रिया, सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ और अपेक्षित अनुपालनार्थ संसूचित की गई थी।

2. यह देखा गया है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन नहीं किया जा रहा है और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/कुटुंब के सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

3. अतः सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644631

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

11/15/2022-P&PW(II)-8363 (III)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 24-10-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Processing of cases for authorization of pension/family pension in respect of a Government servant who is not in a position to submit the pension forms on account of any bodily or mental infirmity-reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 11/15/2022-P&PW(II)-8363 (2) dated 28-10-2022 vide which instructions relating to obtaining pension claim, in respect of a Government servant, who is not in a position to submit the pension forms on account of any bodily or mental infirmity, in accordance with Rule 57(3) of CCS (Pension) Rules, 2021 and further processing of these Forms in accordance with Rule 59(2) read with Rule 80(5) of these Rules were communicated to Ministries/Departments for information and necessary compliance.

2. It is noticed that the above provisions are not being followed strictly by Ministries/Departments and grievances are being received from retired Government servants/family members.

3. All Ministries/Departments are, therefore, again requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder for compliance.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631

To
All Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 25-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कर्मचारी के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्रवाईयों को पूरा करने की समय-सीमा।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 28-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/15/2022-पी&पीडब्लू (एच)-8363 (1) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्यालयों/प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली विभिन्न कार्रवाईयां सम्मिलित हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में इनमें से प्रत्येक कार्रवाई को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इन कार्रवाई में निम्न सम्मिलित हैं :

क. नियम 54 के अनुसार, प्रत्येक विभागाध्यक्ष(एचओडी) को प्रत्येक मास के 15वें दिन तक ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी अपेक्षित होती है, जो उस तारीख से अगले पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

ख. नियम 55 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व सरकारी आवास के संबंध में संपूर्ण ब्यौरे प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जारी किए जाने के लिए इन ब्यौरों को संपदा निदेशालय को भेजा जाए।

ग. नियम 56 और 57 में, सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिवर्षिता पर पेंशन के मामले पर कार्रवाई संबंधी प्रारंभिक कार्य के लिए विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। इसमें सेवा का सत्यापन, सेवा पुस्तिका के लोपों की पूर्ति, त्रुटियों या कमियों को दूर करना सम्मिलित है।

घ. नियम 59 और 60 के अनुसार, कार्यालय अध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी से पेंशन प्ररूप प्राप्त होने की तारीख से दो माह के भीतर पेंशन मामले को फॉर्मेट 10 में सहपत्र सहित वेतन और लेखा कार्यालय को प्रेषित करेगा।

ङ. पेंशन पत्र प्राप्त होने पर लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से दो मास पूर्व पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

च. लेखा अधिकारी, पेंशन संदाय आदेश की एक प्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को, कार्यालय अध्यक्ष से पेंशन पत्रों के प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर अग्रेषित करेगा। सीपीएओ एक विशेष प्राधिकार मुहर जारी करेगा और पेंशन संदाय आदेश प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर पेंशन संदाय आदेश की प्रति के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। तत्पश्चात, पेंशन संवितरण प्राधिकारी जिस तारीख से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन देय हो, उस तारीख से उसे संवितरित करने के लिए कार्रवाई करेगा।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644631

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

11/15/2022-P&PW(H)-8363 (IV)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 25-10-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Timelines for completion of various activities in the process of authorization of pension and gratuity on retirement on superannuation of a government servant.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 11/15/2022-P&PW(H)-8363 (1) dated 28-10-2022 on the above subject and to say that the process of authorization of pension and gratuity involves various activities to be performed by different offices/authorities. Timelines have been prescribed in the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 for completion of each of these activities. These activities include:

A. As per Rule 54, every Head of Department (HoD) is required to have a list prepared by 15th day of every month, of all Government servants, who are due to retired within the next fifteen months of that date.

B. As per Rule 55, Complete details regarding the Government accommodation are required to be obtained from the Government servant at least one year before the anticipated date of retirement and send these details Directorate of Estates for issuing a 'No demand certificate' in respect of the period preceding eighth months of the retirement of the Government servant.

C. Elaborate procedure has been laid down in Rules 56 and 57 for preparatory work for processing of pension case on superannuation during the period of one year before retirement. This includes verification of service, making good the omissions, imperfections or deficiencies in the service book.

D. As per Rule 59 & 60, the HOO is required to send the pension case to the Pay & Accounts Office with a covering letter in Format 10 within two months from the date of receipt of pension forms from the Government servant.

E. On receipt of pension case the Accounts Officer shall apply the requisite checks and issue the pension payment order not later than two month in advance of the date of retirement of a Government servant on attaining the age of superannuation.

F. The Accounts Officer shall forward a copy of the Pension Payment Order to the Central Pension Accounting Office, within two months from the date of receipt of pension papers from the HOO. The CPAO shall issue the Special Seal Authority and forward the same to the Pension Disbursing Authority along with the copy of the Pension Payment Order within twenty one days from the date of receipt of the Pension Payment Order. The Pension Disbursing Authority shall thereafter take action to disburse the pension to the retired Government servant on the date on which it becomes due.

2. All Ministries/Departments are, therefore, requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder for compliance.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631

To

All Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

सं.1/15/2024-पी&पीडबल्यू(एफ)/9809

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 25 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पेंशन संबंधी नियमों का कार्यान्वयन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभों का समय पर जारी किया जाना।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023 जारी किए हैं। ये नियम ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 लागू होती है। असाधारण पेंशन (ईओपी) नियम के अंतर्गत नि:शक्तता पेंशन/असाधारण कुटुंब पेंशन ऐसी पेंशन है, जो किसी सरकारी कर्मचारी की सरकारी सेवा के कारण, सेवा के दौरान नि:शक्तता/मृत्यु (या नि:शक्तता का बढ़ना/मृत्यु) होने पर सरकारी कर्मचारी/उसके कुटुंब को देय होती है।

2. उपरोक्त नियम प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। हाल ही में, ऐसे ही एक मामले में अदालत ने सरकारी सेवा के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मारे गए कुछ सरकारी कर्मचारियों के पात्र कुटुंब के सदस्यों को असाधारण पेंशन (ईओपी) देने का आदेश दिया। अदालत की ओर से उन्हें असाधारण पेंशन (ईओपी) नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन देने का आदेश दिया गया था। तथापि, संबंधित विभाग ने यह विचार किया कि चूंकि ये कर्मचारी असाधारण पेंशन (ईओपी) नियमों के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, जिन्हें पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा अधिसूचित/जारी किया गया है, इसलिए, आदेश को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा लागू किया जाना चाहिए। तत्पश्चात, मामले को उस विभाग को स्पष्ट किया गया और उसी विभाग द्वारा इसे लागू किया गया। तथापि, प्रक्रिया लंबी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान आदि करने में विलंब हुआ।

3. उपरोक्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, यह दोहराया जाता है कि भारत सरकार में कार्य आवंटन नियमों के उपबंधों के अनुसार, पेंशन/पेंशन हितलाभ की मंजूरी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/संगठन का एकमात्र अधिदेश और उत्तरदायित्व है। अत: संबंधित संगठन द्वारा यथाशीघ्र नियमानुसार असाधारण पेंशन (ईओपी) सहित सभी सेवानिवृत्ति हितलाभ जारी किया जाना अपेक्षित होता है। यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 65 के अनुसार पेंशन, उपदान और कुटुंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज देय है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त का सख्ती से अनुपालन करें और अपने अधीन सभी प्राधिकारियों को ऐसे मामलों में यथाशीघ्र भुगतान की प्रक्रिया करने और उसे जारी करने के लिए जागरूक करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

25.10.2024

(दिलीप कुमार साहू)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 011-24641627

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

No. 1/15/2024-P&PW(F)/9809
भारत सरकार/Government of India
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय /Ministry of Personnel, PG & Pensions
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/ Department of Pension & Pensioners' Welfare

***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 25th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Implementation of pension related rules and timely release of retirement benefits by the administrative Ministries / Departments.

Department of Pension and Pensioners' Welfare (DoPPW) has recently issued Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023. These rules apply to the Government servant to whom the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 apply. Extraordinary Pension (EOP) Rules are in the form of Disability pension/extraordinary family pension that may be paid to the Government servant/his family if disablement/death (or the aggravation of disablement/death) of the Government servant, during his service, are attributed to the Government service.

2. The above rules are implemented by the administrative Ministry / Department / Organisation. Recently, in one such case court ordered for grant of EOP to the eligible family members of few Government servants who were killed in action during Govt duty. There was order from the court to grant them family pension under EOP Rules. However, the concerned Department took a view that since these employees are covered under EOP Rules which have been notified / issued by DoPPW, hence, the order should be implemented by DoPPW. The matter was subsequently clarified to the that Department and the same was implemented by that Department only. However, the process got prolonged resulting delay in payment etc.

3. In view of the above experience, it is reiterated that as per provisions of the Allocation of Business Rules in the Govt of India, sanction of pension / pensionary benefits is the sole mandate and responsibility of the administrative Ministry / Department / organisaiton. Therefore, the concerned organization is required to release all the retirement benefits including EOP as per rules at the earliest possible. It is added that delay in payment of pension, gratuity and family pension attracts payment of interest in terms of Rule 65 of CCS (Pension) Rules, 2021.

4. All Ministries/Departments are requested to observe the above strictly and sensitise all authorities under them to process and release payment in such cases at the earliest possible.

5. This issues with the approval of competent authority.

25.10.2024

(दिलीप कुमार साहू) / (Dilip Kumar Sahu)
अवर सचिव, भारत सरकार / Under Secretary to the Govt.of India
Tele. No. 011-24641627

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 30-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्र सरकार के पेंशनभोगी के कुटुंब के ब्यौरे से पुत्री का नाम हटाने पर स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50(15) के अनुसार जैसे ही सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में प्रविष्ट होता है, वह अपने कुटुंब के ब्यौरे प्ररूप 4 में कार्यालय अध्यक्ष को देगा, जिसमें पति/पत्नी, सभी बच्चों, माता-पिता और नि:शक्त सहोदरों(कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो) से संबंधित सभी सुसंगत ब्यौरे सम्मिलित होंगे। इस नियम में आगे उपबंधित है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने से पूर्व, पेंशन पत्रों के साथ प्ररूप 4 में कुटुंब के अद्यतित ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

3. इस विभाग को ऐसे कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी की सेवाननिवृत्ति के पश्चात कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरों में से पुत्री का नाम हटाने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

4. इस विभाग के दिनांक 07-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3(2)/2022- पी&पीडबल्यू(एच)-7942 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी को कुटुंब के सभी सदस्यों के ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे, चाहे वे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो। निर्धारित प्रोफार्मा में सरकारी कर्मचारी द्वारा सूचित किए जाने पर ही पुत्री को सरकारी कर्मचारी के कुटुंब का सदस्य माना जाता है। अत: पुत्री का नाम कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे में सम्मिलित रहेगा। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगियों की मृत्यु होने के पश्चात ही कुटुंब पेंशन की पात्रता निर्धारित की जाएगी।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644631

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन(मानक सूची के अनुसार)

11/15/2022-P&PW(H)-8363 (II)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 30-10-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification on deletion of name of daughter from the family details of a Central Government pensioner.

The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. Rule 50 (15) of the CCS (Pension) Rules, 2021 provides that as soon as a Government servant enters Government service, he shall give details of his family in Form 4 to the Head of Office, which shall include all relevant details relating to spouse, all children, parents and disabled siblings (whether or not eligible for family pension). This Rule further provides that the Government servant shall submit the up to date details of the family in Form 4 again along with the pension papers, before retirement from Government service.

3. References were received seeking clarification in respect of deletion of name of the daughter from the details of family members after retirement of the Government servant.

4. It has been clarified by this Department vide OM No. 3(2)/2022-P&PW(H)-7942 dated 07-10-2022 that the Government servant/pensioner shall submit details of all member of family whether or not eligible for family pension. The daughter is deemed to be a member of the family of Government servant as and when intimated by the Government servant in the prescribed proforma. Hence, the name of the daughter shall remain included in the details of family members. The eligibility for family pension would be decided after demise of pensioner/family pensioners in accordance with the existing rules.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder for compliance.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631

To

All Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)